

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 175/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/468

वादी	बनाम	प्रतिवादी
प्रकाश पुत्र शंकरराम		1. वीरमाराम पुत्र फौजाराम
जाति भील निवासी मंडापुरा		2. हड़मानाराम पुत्र फौजाराम
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		3. जेठीदेवी बेवा फौजाराम
		4. नारायणीदेवी पुत्री फौजाराम
		5. ममता पुत्री फौजाराम
		जाति भील निवासी ढण्ड, मूंगड़ा
		तहसील पचपदरा
		6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 28.01.2025


संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1228/336 क्षेत्रफल 2.2581 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 28.11.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1228/336 क्षेत्रफल 2.2581 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	वरंग
1	प्रकाश पुत्र शंकरराम कौम भील निवासी मंडापुरा	हेमपुरा	1228 / 336	0.8094	बा. अब्बल	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	वीरमाराम हड़मानाराम पि. फौजाराम जेठीदेवी बेवा फौजाराम नारायणीदेवी ममता पुत्रिया फौजाराम कौम भील सा.देह खातेदार	हेमपुरा	1228 / 336	1.4487	बा. अब्बल	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28.01.26 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा



मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 175/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/468

वादी
प्रकाश पुत्र शंकरराम
जाति भील निवासी मंडापुरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. वीरमाराम पुत्र फौजाराम
2. हड़मानाराम पुत्र फौजाराम
3. जेठीदेवी बेवा फौजाराम
4. नारायणीदेवी पुत्री फौजाराम
5. ममता पुत्री फौजाराम
जाति भील निवासी ढण्ड,मूंगड़ा
तहसील पचपदरा
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
पचपदरा




राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 33/2025

निर्णय दिनांक :-28.1.2026

वादी की ओर से श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.1.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	_____ _____	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	_____ _____
जोड़	_____	जोड़	_____




 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बठानगर
 28/01/2026